

CONDUCT OF ELECTION RULES,1961

FORM 1

(See rule 3)


NOTICE OF ELECTION

Notice is hereby given that –

- (1) A Bye-election is to be held of a member to the Uttarakhand Legislative Assembly in the 47-Bageshwar(S.C.) Constituency,
- (2) Nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers to the Returning Officer, or to Titiksha Joshi, Tehsildar Garur Assistant Returning Officer at S.D.M. Court Bageshwar between 11 A.M. and 03 P.M. on any day (other than public holiday) not later than the 17.08.2023,
- (3) Forms of nomination paper may be obtained at the place and times aforesaid;
- (4) The nomination paper will be taken up for scrutiny at S.D.M. Court Bageshwar on 18.08.2023 at 11 A.M,
- (5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by his election agent who has been authorized in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph(2) above at his office before 03 P.M. on 21.08.2023 ,
- (6) In the event of the election being contested, the poll will be taken on 05.09.2023 between the hours of 07.00 A.M.and 05.00 P.M.

Date: 10.08.2023

Place; Bageshwar



(Har Giri)
Returning officer
47-Bageshwar(S.C)
Assembly Constituency

निर्वाचन का संचालन नियम 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
प्रारूप-1(नियम 3 देखिए)
निर्वाचन की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:-

- (1) 47-बागेश्वर (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र में उत्तराखण्ड विधानसभा के सदस्य का उपनिर्वाचन होना है,
- (2) नाम निर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या तितिक्षा जोशी तहसीलदार गरुड सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या (उसके प्रस्थापक द्वारा) 17.08.2023 से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11.00 बजे पूर्वान्ह और 03.00 बजे अपरान्ह के बीच न्यायालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर में परिदत्त किए जा सकेंगे,
- (3) नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,
- (4) नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के लिए न्यायालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर में 18.08.2023 को प्रातः 11.00 बजे लिए जायेंगे,
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में 21.08.2023 को 03.00 बजे अपरान्ह के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,
- (6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में 05.09.2023 को प्रातः 07.00 बजे और सायं 05.00 बजे के बीच मतदान होगा।

स्थान-बागेश्वर
तारीख-10.08.2023


(हर गिरी)
रिटर्निंग आफिसर,
47-(अ0जा0)बागेश्वर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र